



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख, 1942 (श०)

संख्या- 216 राँची, मंगलवार,

19 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

20 मार्च, 2020

संख्या-8/आरोप-05/2019 का० 2080--झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री मितरंजु कुमार, तत्कालीन अवर सचिव, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची, सम्प्रति-निलम्बित के विरुद्ध सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के तहत अपने उच्चाधिकारी के सम्बन्ध में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है ।

2. श्री मितरंजु कुमार, तत्कालीन अवर सचिव, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2429 दिनांक-07.05.2019 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गौरी शंकर मिंज, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

4. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सरकार के तरफ से आरोपों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए श्री सुधीर कुमार उपाध्याय, उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन

सरकार के संयुक्त सचिव ।
